न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री मूलचन्द लूणिया {आर.ए.एस.}
प्रकरण संख्या : 57/2019

नवजोत सिंह पुत्र बलदेव सिंह जाति जटसिख निवासी 10 एच सुन्दरपुरा।

--प्रार्थी--

बनाम

राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार श्री करणपुर।

--अप्रार्थी--

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट

--निर्णय-- दिनांक : 09/10/19

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 10 एच सुन्दरपुरा में मु.न. 57 व 74 में प्रार्थी के पिता बलदेव सिंह पुत्र अजायब सिंह के नाम रकबा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज था। जिनकी मृत्यू दिनांक 08.01.2010 को हो चुकी है। प्रार्थी के पिता के नाम दर्ज भूमि का विरास्तन इन्तकाल वारिसान के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। विरास्तन इन्तकाल दर्ज करते समय सहवन से प्रार्थी की माता का नाम बलविन्द्र कौर पत्नि बलदेव सिंह के स्थान पर बलविन्द्र कौर पत्नि अजायब सिंह दर्ज कर दिया था। जबकि मेरी माता का सही नाम बलविन्द्र कौर पत्नि बलदेव सिंह है। अर्थात प्रार्थी की माता के पति का नाम बलदेव सिंह के स्थान पर अजायब सिंह अंकित हो गया। अतः इन्तकाल व जमाबन्दी में प्रार्थी की माता का नाम सही करने की कृपा करे।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में रिपोर्ट तहसीलदार श्री करणपुर प्राप्त होने पर प्रकरण भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के अन्तर्गत दर्ज रजिस्टर किया गया। रिपोर्ट तहसीलदार के अनुसार चक 10 एच की जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 45 में बलविन्द्र कौर पत्नि अजायब सिंह के नाम 1.309 हैक्टर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। मृतक बलदेव सिंह का विरास्तन इन्तकाल दर्ज करते समय कुर्सीनामा के अनुसार जरिए विरास्तन इन्तकाल 347 दिनांक 20.06.2014 में सहवन से बलविन्द्र कौर पत्नि बलदेव सिंह के स्थान पर बलविन्द्र कौर पत्नि अजायब सिंह दर्ज हो गया। जिसे दुरूस्त किया जाना उचित है।

प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार हेतु निवेदन किया। रिपोर्ट तहसीलदार के अनुसार उक्तानुसार संशोधन किया जाना उचित है।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी की माता का नाम बलविन्द्र कौर पत्नि अजायब सिंह के स्थान पर बलविन्द्र कौर पत्नि बलदेव सिंह अंकित किए जाने बाबत निवेदन किया है। प्रार्थी की माता के पहचान सम्बन्धी दस्तावेज यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, में नाम बलविन्द्र कौर पत्नि बलदेव सिंह अंकित है। जमाबन्दी में नाम बलविन्द्र कौर पत्नि अजायब सिंह अंकित है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

उपरोक्त तथ्यो के विवेचन एवं पत्रावली में साक्ष्य सबूत के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 10 एच की जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 45 में बलविन्द्र कौर पत्नि अजायब सिंह के स्थान पर बलविन्द्र कौर पत्नि बलदेव सिंह अंकित किए जाने के आदेश दिए जाते है। शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व
श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

आदेश इस आशय का जारी हो। आदेश की एक प्रति तहसीलदार श्री करणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो।
निर्णय आज दिनांक 09/10/19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

{मूलचन्द लूणिया आर.ए.एस.}
उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर

क्रमांक :- राजस्व/2019/ 389 दिनांक :- 11/10/19

तहसीलदार (राजस्व),
श्रीकरणपुर।

विषयः- प्रकरण संख्या 57/2019 अनवान नवजोत सिह बनाम राजस्थान सरकार अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट मे पारित **निर्णय दिनांक 09.10.2019 के संबंध में।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अनवान प्रकरण मे पारित निर्णय दिनांक 09.10.2019 के अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 10 एच की जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 45 में बलविन्द्र कौर पत्नि अजायब सिंह के स्थान पर बलविन्द्र कौर पत्नि बलदेव सिंह अंकित किए जाने के आदेश दिए जाते है। शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

(मूलचन्द लूणिया आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

O/C